FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 06/03/2025 16:44 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Thursday **Date from (दिनांक से):** 06/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 06/03/2025

Time Period (समय अवधि): Pahar 6 **Time From (समय से):** 15:25 hrs **Time To (समय तक):** 15:25 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/03/2025 **Time (समय):** 15:30 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 012 **Date and Time (दिनांक और समय):** 06/03/2025 15:37 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 55 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): तावडु जिला नुहँ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** BHARTENDRA KUMAR

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 19/01/1975 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**JHIGAWAN PS KANINA Distt M GAR, SADAR KANINA, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**JHIGAWAN PS KANINA Distt M GAR, SADAR KANINA, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** 91-1668-226998 **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9582200129

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	ASI भुपेन्द्र प्रवाचक DSPतावडु			1. कार्यालय DSP तावडु जिला नुहँ,NUH,HARYANA,INDIA
2	आमीन चाय वाला			1. तावडु जिला नुहँ,NUH,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा मे , प्रबन्धक थाना , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम । विषय - प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे । निवेदन है कि दिनांक 27-02-2025 को महेश पुत्र श्री शिवचरण वासी राठीवास थाना सदर तावड़ू जिला नुँह ने

एक शिकायत श्रीमान पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम को दी जिसको श्रीमान पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के परिवाद नम्बर 755 दिनांक 27-02-2025 के तहत जांच हेतू मन उप पुलिस अधीक्षक को मार्क की शिकायतकर्ता महेश उपरोक्त द्वारा दी गई शिकायत का सार निम्न प्रकार से है " सेवा मे , अधीक्षक महोदय , ए. सी. बी. गुरूग्राम , विषय मुकदमे मे उलझाने का डर दिखाकर रिश्वत लेने के आरोप मे मुकदमा दर्ज कराने व कानूनी कार्यवाही कराने बारे , महोदय उपरोक्त विष्यांतगर्त निवेदन है कि मै महेश पुत्र श्री शिवचरण वासी राठीवास थाना सदर तावडू जिला नुँह का हूं । जो कि गत वर्ष 07-07-2024 को सदर थाना तावडू मे FIR No. 184 राजेश पुत्र श्री बद्रीप्रसाद के द्वारा दर्ज कराई गई थी जो कि धारा 153A, 295, 506 IPC and SCST Act के तहत थी । यह कि इसमे गांव के अज्ञात लोगो के द्वारा डा0 भीमराव अंबेडकर जी का पोस्टर फाडा गया था व राजेश के फेसबुक अकाउन्ट पर आपतिजनक गालिया का कॉमेन्ट किया गया था । जो कि आरोपी मोनू शर्मा के द्वारा मेरे फोन का हॉटस्पॉट प्रयोग किया गया था । जिसमे पुलिस ने मोनू शर्मा से रूपये लेकर मुझे आरोपी बना दिया गया और मुझसे ढाई लाख रूपये मांगे गये । जो कि उसके बाद मैने अदालत की शरण ली जिसमे कि CIS No. BA No. 2911of 2024 जिसमे नुँह अदालत ने मेरी अग्रीम जमानत नही ली जिसके पश्चात शिकायतकर्ता राजेश से मेरा राजीनामा हो गया जिसके चलते मैने होई कोर्ट , चण्डीगढ मे मुकदमे को खारिज करने की अपील CRA-S- 4040-2024 के अंतर्गत की जिसमे दिनांक 13/02/2025 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मेरी अपील को स्वीकर करते हुऐ आदेश दिया जिसमे कि मुझे सात दिनो के भीतर पुलिस मुकदमे से सम्बंधित जांच करने हेतू मुझे बुला सकती है और शिकायतकर्ता राजेश व पुलिस अगर चाहे तो मेरी जमानत को रद्द करा सकते है । जो कि 17/02/2025 की शाम लगभग 6:26 बजे मेरे पास जांच अधिकारी डी.एस.पी. तावडू के रीडर भुपेन्द्र ने अपने मोबाईल नम्बर 9729322158 से मुझे कॉल कर अगले दिन अकेले आने को कहा लेकिन मै गांव के कई मौजीज लोगो के साथ गया तो भुपेन्द्र ने फिर अगले दिन अकेले आने को बोला । जो कि इसी प्रकार मुझे परेशान करता रहा फिर मे दिनांक 20-02-2025 को मै अकेले ऑफिस मे जाकर मिला तो उसने कहा कि तु बेवजह भागता फिर रहा है मेरे पास क्यु नही आया ? और कहा कि अब भी तो मेरी कलम के बगैर तेरा मामला बन्द नही होगा और मुझसे बीस हजार रूपये लाने को कहा और बोला कि जब तक नही लायेगा मैं तेरी फाईल अपडेट नही करूगा । जब मै पुन: पैसे लेकर गया तो मैंने कहा कि मेरे पास पंद्रह हजार है तो भुपेन्द्र बोला कि पंद्रह हजार का तो चाय का बिल फट जाता है और फिर नीचे आमीन चाय वाले को रूपये देने को कह दिया । जब मै चाय वाले के पास पहुंचा तो उसने कहा कि मेरी बात हो गई बाहर सब जगह कैमरे लगे हुऐ है इसलिए मे तुम्हारी गाडी मैं बैठा हूं और फिर मैने उसको पंद्रह हजार रूपये दे दिये तो उसने कहा कि तुम बैफिक्र हो जाओ तुम्हारा काम हो जायेगा । जो कि ये सारे प्रकरण की रिकॉर्डिंग मैने अपने फोन मे की हुई है । कृप्या करके भुपेन्द्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही की जाये । Sd. महेश पुत्र श्री शिवचरण वासी राठीवास थाना सदर तावडू जिला नुँह मो0 8239001400" जिस पर दिनांक 27-02-2025 को ही शिकायतकर्ता को जांच मे शामिल किया । शिकायत की जांच के दौरान शिकायतकर्ता महेश कुमार जांच मे शामिल हुआ जिसने अपनी दी गई शिकायत के अनुसार व्याख्यान किया और उसके तथा ASI भुपेन्द्र और चाय वाले (आमीन) के मध्य दिनांक 20-02-2025 को रिश्वत के सम्बंध मे हुई बातचीत की दो रिकॉर्डिंग के अनुवाद के 3 पेज भी पेश किये तथा माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 13-02-2025 के आदेश की छायाप्रति पेश की । शिकायतकर्ता महेश ने अपनी शिकायत अनुसार व्याख्यान किया कि उसके गांव के राजेश पुत्र बद्रीप्रसाद ने एक मुकदमा नम्बर 184 दिनांक 07-07-2024 u/s 153A, 506 IPC व SC/ST Act थाना सदर तावडू गांव के अज्ञात लोगो द्वारा डा0 भीमराव अम्बेडकर जी का पोस्टर फाडने और राजेश के फैसबुक अकाउन्ट पर आपतिजनक गालिया/ कोमेंट करने पर दर्ज करवाया था । इस अभियोग के अनुसंधान के दौरान पाया गया था कि गांव के एक लडके मोनु शर्मा द्वारा , महेश का हॉटस्पॉट प्रयोग किया गया था और आपतिजनक कोमेंट किये गये थे । जिस पर महेश को इस मुकदमा मे आरोपी बनाया गया था । महेश ने माननीय न्यायालय ASJ नुंह मे अग्रीम जमानत लगाई थी जो न्यायालय ने दिनांक 22-11-2024 को Dismiss कर दी जिस पर महेश ने माननीय उच्च न्यायालय चण्डीगढ मे अग्रीम जमानत की याचिका न0 CRA-S-4040of 2024 डाली जो इसी दौरान महेश का मुकदमा के शिकायतकर्ता राजेश से समझौता हो गया । जो माननीय उच्च न्यायालय , पंजाब तथा हरियाणा चण्डीगढ द्वारा अग्रीम जमानत दिनांक 13-02-2025 को निम्न आदेश दिये कि " The appellant shall be released on anticipatory bail in the FIR captioned above subject to furnishing bonds to the satisfaction of the arresting officer and if the matter is before a court, then the concerned court and due to unavailability before any nearest illaqa magistrate / duty magistrate . Before accepting the surety , the concerned officer/court must be satisfied that if the accused fail to appear , such surety can produce the accused" तथा appellant को भी निर्देश दिये कि " The appellant is directed to join the investigation

within 7 days of uploading this order on the official website of the High Court of Punjab and Haryana and as and when called by the investigator" जो माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेशनुसार महेश कुमार को दिनांक 17-02-2025 को समय शाम 6:26 पर प्रवाचक , भुपेन्द्र , उप पुलिस अधीक्षक तावडू द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9729322158 से महेश कुमार के मोबाईल नम्बर 8239001400 पर कॉल करके दिनांक 20-02-2025 को समय सुबह 10:00बजे आने के लिए बुलाया गया था और शामिल अनुंसधान करने के लिए 20 हजार रू मांगे लेकिन 15 हजार रूपये कार्यालय के बाहर बैठे चाय वाले (आमीन) के माध्यम से प्राप्त किये गये । दिनांक 20-02-2025 को शिकायतकर्ता महेश कुमार तथा सहायक उप निरीक्षक भुपेन्द्र (प्रवाचक DSP तावडू /नुँह) की रिकॉर्डिंग का मुख्य अंश जब महेश ने पैसे दिये " ना चाय वाले को, 15 हजार है कभी कहो बाद मे सुनो भाई, मैं ना मैं 20 हजार दे जातो मै दुखी ईतना हूं , झुठो सारो मामलो है यो , उसे दे जा चाय का बिल फट जा है" फिर सहायक उप निरीक्षक भुपेन्द्र से मिलने के बाद महेश कुमार चाय वाले के पास जाता है । जहा महेश कुमार के साथ मुकदमा का मुदई राजेश भी होता है । रिकॉर्डिंग अनुसार हुई बातचीत के मुख्य अंश " भाई साहब चाय वाला आप ही हो ना , हॉ जी, तो एक बार बात कर लो भुपेन्द्र भाई साहब त , हो गई बात मेरी 15 हजार है जी , 15 हजार पुरे , मै नू कह रो हूं भाई साहब , कह दिये भाई साहब त की उसको पिन्डो छोड दे अपना ही बालक है , आप नो हाथ की सोड मे सोयो आदि- आदि । क्योकि महेश के विरूद्ध दर्ज अभियोग SC/ST Act की धाराओ मे था इसलिए इस अभियोग का अनुसंधान अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक तावडू था और ASI भुपेन्द्र , उप पुलिस अधीक्षक तावडू का प्रवाचक है इसलिए ASI भुपेन्द्र ने इस अभियोग के सम्बंध मे महेश को बुलाया था । अत: शिकायत , मार्कशुदा के मजबुन , व्याख्यान शिकायतकर्ता तथा शिकायतकर्ता द्वारा पेश की गई रिकॉडिंग अनुवाद अनुसार पृथम दृष्टया , सहायक उप निरीक्षक भुपेन्द्र द्वारा रिश्वत मागने तथा पैसे लेने वाले चाय वाला आमीन के विरूद्ध अपराध धारा 7 तथा 7ए PC Act 1988 का होना पाया जाने पर तहरीर का प्रारूप तैयार करके अनुमोदन हेतू , पुलिस अधीक्षक कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम के पत्र क्रमांक 1004 /ACB/GGM DT. 28-02-2025 के तहत श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकूला हरियाणा को भेजी गई । जो श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पंचकूला हरियाणा के कार्यालय के पत्र क्रमांक 3633/I-2/SVB(H) dated 04-03-2025 अनुसार तहरीर अनुमोदित होकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम से मार्क होकर आज मन उप पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुई है । जो आज मन उप पुलिस अधीक्षक हाजिर कार्यालय हूं । क्योकि महेश के विरूद्ध दर्ज अभियोग SC/ST Act की धाराओ मे था इसलिए इस अभियोग का अनुसंधान अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक तावडू था और ASI भुपेन्द्र , उप पुलिस अधीक्षक तावडू का प्रवाचक है इसलिए ASI भुपेन्द्र ने इस अभियोग के सम्बंध मे महेश को बुलाया था । जो ASI भुपेन्द्र , प्रवाचक , उप पुलिस अधीक्षक तावडू द्वारा रिश्वत मागने तथा ASI भुपेन्द्र के कहने पर रिश्वत के पैसे लेने वाले आमीन (चाय वाला) के विरुद्ध अपराध 7 ,7 ए PC Act 1988 का पाया जाने पर तहरीर बदस्त EHC कुलदीप नम्बर 2355/ गुरूग्राम के बराये कराने दर्ज अभियोग भेजी जा रही है । अभियोग दर्ज करके , अभियोग की संख्या से सूचित किया जावे तथा अभियोग की स्पेशल रिपार्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिसिट्रेट व उच्च अधिकारियो को भिजवाई जावे । अभियोग की मिशल मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतू मन उप पुलिस अधीक्षक के पास भिजवाई जावे । SD भारतेन्द्र कुमार (भारतेन्द्र कुमार , ह0पु0से0) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम दिनांक 06-03-2025 समय - 3.25 PM अज थाना – आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब नुहँ भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले EHC कुलदीप नम्बर 2355/ गुरूग्राम के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु DSP भारतेन्द्र कुमार के पास भेजी जा रही है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2)

Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): BHARTENDRA KUMAR

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): DSP **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1980				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	01/01/1978				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)